न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 01/2020

वादीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. श्रीमती कीर्तिसिंह पुत्री स्व. करणसिंह जी जाति राजपूत निवासी उदय भवन सुरायता की हवेली, घोड़ों का चौक, जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली राजस्थान

उपस्थितिः—

1. श्री चन्द्र प्रकाष व्यास, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

—:निर्णयः— दिनांक 29-9-2021

1. प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया स्व. करणसिंह जी सुरायता की एकमात्र पुत्री एवं उत्तराधिकारीणी हैं। स्वर्गीय करणसिंह जी का देहान्त वर्ष 2006 में हो चुका हैं। स्व. करणसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत निवासी सुरायता, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली की कृषि भूमि मौजा सुरायता तहसील सोजत सिटी जिला पाली में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 2506 से 2513, 2516 एवं 2518 कुल 10 खसरा हैं जिसका रकबा 28.78 हेक्टर कृषि भूमि स्थित होना बताया। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में सीलिंग प्रकरण संख्या 122/1973 निर्णय दिनांक 13 अप्रेल 1978 (नया कानून), 221/1971 निर्णय दिनांक 23 जुलाई 1977 (पुराना कानून) व 13/1975 निर्णय दिनांक 24 अगस्त 1976, 218/1973 (नया कानून), 226/1971 व 40/1976 निर्णय दिनांक 23 अगस्त 1976 को नये एवं पुराने कानुन के तहत प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत सिटी, द्वारा निर्णय पारित किये गये। प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय के पश्चात राज्य सरकार द्वारा पुनः सुनवाई हेतु प्राधिकृत नियुक्त कर सुनवाई हेतु पत्रावलियां पुनः प्रषित की गई हैं।

2. तत्पश्चात पत्रावलियां अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली से अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली को स्थानांतरित की गई जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली द्वारा सुनवाई की गई तथा भुमिधारी गैर सायल के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि धारित करने के कारण सभी प्रकरणों की एक प्रकृति होने से एक साथ निस्तारण कर सीलिंग सीमा से कम भूमि होने के आधार पर प्रकरण ड्रॉप करने का निर्णय दिनांक 16 अक्टुबर 2006, को पारित किया गया। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग). पाली के निर्णय दिनांक 16 अक्टुबर 2006 के राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार सोजत सिटी के माध्यम से राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की गई जो भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07 जुलाई

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

2010 को निरस्त कर दी गई हैं। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश की गई जो भी निरस्त की जा चुकी हैं।

3. प्रार्थिया ने अवगत कराया की खातेदार की जमाबंदी में संवत 2058–2061 में नोट सीलिंग प्रभावित का लगाया गया हैं उक्त नोट किस सक्षम अधिकारी के आदेश से लगया गया हैं, का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकी राजस्व रेकर्ड में किसी भी तरह की टिप्पणी या नोट सक्षम अधिकारी के आदेश से ही हो सकती हैं। प्रकरण सीलिंग कानून से संबंधित होने से सक्षम अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग, पाली के अलावा अन्य नहीं हो सकते हैं जिनके द्वारा प्रकरण ड्रॉप करने का निर्णय पारित किया गया हैं। खातेदार करण सिंह के विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप होने तथा उनकी मृत्यु के पश्चात खाता सीलिंग प्रभावित नोट के कारण फोतेतगी म्यूटेशन भी अभी तक नहीं भरा गया हैं। भू राजस्व अधिनियम की धारा 113 व 132 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता हैं। परन्तु प्रार्थी के पिता के खाते में बिना सूचना एवं सुनवाई के रेकर्ड में परिवर्तन कर सीलिंग प्रभावित का नोट लगाया गया है। जो विधि विरूद्ध हैं।

4. प्रकरण सीलिंग एक्ट से संबंधित हैं तथा न्यायाय हाजा द्वारा सुनवाई कर प्रकरण ड्रॉप करने का निर्णय पारित किया हैं। प्रार्थीया के पिता के खाते में संवंत 2054 से 2057 में सीलिंग प्रभावित नोट नहीं था। ऐसी स्थिति में 2054 से 2057 की जमावंदी के अनुसार पुनः जमाबंदी खतौनी बहाल की जावें तथा नोट हटाए जाने का आदेश फरमावे। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया के पिता की जमावंदी में सीलिंग प्रभावित का नोट हटाने तथा 2054–57 की स्थिति पुनः बहाल करने का आदेष फरमावें।

5. प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस हेतू निवेदन किया गया।

7. जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

8. बहस के द्वौरान प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कार्यालय हाजा के निर्णय दिनांक 16 अक्टूबर 2006 व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 07 जूलाई 2010 की पालना में प्रार्थीया के स्व. पिता की खातेदारी, हक हकूक, कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग एवं स्वामित्व की कृषिभूमि सरहद मौजा ग्राम सुरायता, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली की जमाबंदी संवंत 2058–2061 मे सीलिंग प्रभावित नोट को हटाने तथा जमाबंदि संवत 2054–2057 की स्थिति पुनः बहाल फरमावें।

9. राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में जाहिर किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 07 जूलाई 2010 को पारित किया गया हैं तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन दिनांक 18 जूलाई 2011 को निर्णय पारित किया गया हैं। माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में लगभग 10 वर्ष से अधिक अवधि व्यतित हो चूकी हैं। अतः उक्त निर्णय की प्राशंगिकता भी खत्म हो चूकी हैं इसलिए आवेदन खारिज योग्य है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

10. दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में वर्णित सीलिंग कार्यवाही सरकार और करणसिंह वगेरह के बीच में चली थी, जिसमें अलग अलग समय से अलग अलग निर्णय पारित किये गये। क्योंकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2010 को तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2011 निर्णय पारित किया गया हैं जिसे कि लगभग 10 वर्ष हो गये। अतः किसी भी न्यायालय के निर्णय की प्रांषगिकता इतने लम्बे समय पश्चात् नही रहती है। इतने लम्बे समय तक माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना नही होने से अब उसकी कोई उपयोगिता प्रतीत नही होती, इस कारण से आवेदन खारिज योग्य हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(सीलिंग), पाली

यह निर्णय आज दिनांक 29-9-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधेश्याम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(सीलिंग), पाली